उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की 198 वीं बैठक
दिनांक 21 जुलाई, 2007 का कार्यवृत्त

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 198वीं बैठक परिषद अध्यक्ष श्री मोहिन्दर सिंह की अध्यक्षता में हुई जिसमें निम्न उपाध्यक्ष एवं सदस्य उपस्थित रहे :–

1	श्री मोहिन्दर सिंह	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2	श्री मदन लाल बिन्द	गैर सरकारी।	उपाध्यक्ष
3	श्री अच्छे लाल निषाद	गैर सरकारी।	उपाध्यक्ष
4	श्री हीरा लाल कश्यप	गैर सरकारी।	उपाध्यक्ष
5	श्री मुकेश मित्तल	विशेष सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
6	श्री अनिल संत	आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य
7	श्री एन0 आर0 वर्मा	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0।	सदस्य
8	श्री यू0 के0 गुप्ता	वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य
9	श्री एस0 एन0 राम	मुख्य अभियंता, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य
10	श्री सरफराज अहमद	प्र0 मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य
		<u>विशेष आमंत्री</u>	
11	श्री हरभजन सिंह	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ	

सर्वप्रथम आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद ने, निदेशक मण्डल तथा आवासएवं विकास परिषद की ओर से अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। इसके पश्चात परिषद बैठक सम्पन्न हुई जिसमें विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार निर्णय लिये गये।

मद सं0	विषय	निर्णय
198/1	परिषद की 197वीं बैठक दिनांक 19.01.2007 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	परिषद की 197 वीं बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन किया गया। यह निर्देश दिये गये कि भूमि समायोजन के मदो के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का आवास आयुक्त पुनः परीक्षण करेगें।
198/2	परिषद की 197वीं बैठक दिनांक 19.01.2007 की अनुपालन आख्या।	परिषद की 197वीं बैठक की कार्यवृत्त पढ़कर सुनाई गई जिसकी निम्न निर्देशों के साथ पुष्टि की गई :— परिषद की 197 वीं बैठक दिनांक 19.01.07 के अनुपालन आख्या के कुछ मदों पर 'कार्यवाही की जा रही है', का उल्लेख किया गया है, इस सम्बंध में यह निर्देश दिये गये है कि उक्त प्रस्तावों पर स्पष्ट कार्यवाही से परिषद को अवगत कराया जाय।

वित्त एवं लेखानुभाग

198/3	चालू वित्तीय वर्ष (2007—08) के प्रथम तीन माह (अप्रैल से जून तक) हेतु लेखानुदान के अनुमोदनार्थ परिषद हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी।	अनुमोदन प्रदान किया गया।
198/4	वित्तीय वर्ष 2006—07 के पुनरीक्षित व वित्तीय वर्ष 2007—08 के प्रस्तावित आय—व्ययक अनुमान के अनुमोदनार्थ परिषद के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी।	अनुमोदन प्रदान किया गया तथा आय बढ़ाने के लिए निम्नवत निर्देश दिये गये :— 1. बकाया धनराशि की वसूली अभियान चला कर की जाय। 2. अनिस्तारित सम्पत्तियों के निस्तारण पर विशेष बल देते हुए नियमानुसार निस्तारण कराया जाय।
198/5	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, पर वित्तीय वर्ष 2002—03 (कर निर्धारण वर्ष 2003—04) एवं वित्तीय वर्ष 2003—04 (कर निर्धारण वर्ष 2004—05) में आयकर विभाग द्वारा आरोपित आयकर के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणी।	निर्णय लिया गया कि इस सम्बंध में परिषद के 'नो लॉस नो प्राफिट' की अवधारणा के आधार पर पैरवी की जाय तथा परिषद को आयकर की परिधि से पृथक रखने हेतु योग्य व अनुभवी अधिवक्ता को लगाया जाय।
198/6	वित्तीय वर्ष 2004—05 की बैलेन्स शीट/वार्षिक लेखों के संबंध में।	अनुमोदन प्रदान किया गया।
198/7	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद में किश्तों/ नकद पर आबंटित संपत्तियों पर ब्याज/दण्ड ब्याज (अन्य ब्याज) आंगणन की प्रकिया को राष्ट्रीयकृत बैंको के समान रखे जाने के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणी।	प्रकरण शासन के विचारार्थ संदर्भित है, इसलिए शासन से निर्णय आने तक स्थगित रखा जाय।

भूमि अर्जन अनुभाग

198/8	परिषद की लखनऊ गोरखपुर बाईपास मार्ग भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना संख्या–1, फैजाबाद के धारा–31(1) की स्वीकृति के संबंध में।	स्वीकृति प्रदान की गई।
198/9	परिषद की लखनऊ गोरखपुर बाईपास मार्ग भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना संख्या–2, फैजाबाद के धारा–31(1) की स्वीकृति के संबंध में।	स्वीकृति प्रदान की गई।
198/10	भूमि विवाद समाधान समिति की 22वीं बैठक दिनांक 12.12.06 की संस्तुतियों को अवलोकित किए जाने के संबंध में।	आवास आयुक्त यह परीक्षण कर ले कि प्रश्नगत नियमावली की शासन से अनुमोदन की आवश्यकता तो नही है।
198/11	आगरा में परिषद की अरतौनी भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना संख्या–5 के अन्तर्गत 1152.75 एकड़ भूमि हाइटेक टाउनशिप हेतु आई0बी0आर0सी0एल0 –नरसी एवं 75 एकड़ भूमि ओमैक्स हाउसिंग एण्ड डवलपर्स के पक्ष में छोड़े जाने के संबंध में।	निर्णय लिया गया कि मै0 आई0बी0आर0सी0एल0–नरसी एंव मै0 ओमैक्स हाउसिंग एण्ड डवलपर्स को क्रमशः 1152.75 तथा 75 एकड़ भूमि दिये जाने का कोई औचित्य नही है। आगरा में 1403.40 एकड़ भूमि पर अरतौनी भूमि विकास एंव गृह स्थान योजना संख्या–5, को चलाने हेतु शासन से आदेश निर्गत करने का पुनः अनुरोध किया जाये।
198/12	परिषद की जी0टी0रोड बाईपास भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, वाराणसी स्थित मौजा भदवर में हैरिटेज अस्पताल की भूमि को अर्जनमुक्त करने के संबंध में।	स्थगित किया गया।
198/13	इन्दिरा नगर योजना लखनऊ (बस्तौली गाजीपुर) में समाविष्ट ग्राम गाजीपुर सईदुलनिशा खसरा सं0 563 व 564 में समाविष्ट 6400 वर्गफीट भूमि समायोजित करने के संबंध में।	स्थगित किया गया।
198/14	परिषद की वृन्दावन योजना संख्या–2, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम उतरठिया के खसरा 550 की 125x45 वर्गफुट भूमि को योजना में समायोजित /अर्जनमुक्त किए जाने के संबंध में।	स्थगित किया गया।

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

198/15	परिषद योजनाओं के अन्तर्गत सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सर्विसेज के टावर निर्माण हेतु अनुज्ञा संबंधी छूट के संबंध में अधिसूचना को परिषद में यथावत लागू करने के संबंध में।	प्रस्ताव का परीक्षण कर विद्यमान शासनादेशों के आलोक में एक नीति तैयार कर कार्यवाही हेतु आवास आयुक्त को निर्देशित किया गया।

198/16	परिषद योजनाओं में अर्जनमुक्त भूमि का विकास प्राधिकरण के अनुरूप उप विभाजन शुल्क निर्धारण करने के संबंध में।	शासन को संदर्भित किया जाये। जिससे एक रूपता बनाई जा सकें।
198/17	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ में आवासीय भूखण्ड संख्या 12/625 तथा 12/625/1 के मध्य स्थित 6 मीटर चौड़ी सड़क का भू–उपयोग आवासीय में परिवर्तित किया जाना।	स्थगित किया गया।
198/18	प्रदेश में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन/लैण्ड असेम्बली के विकास के अधीन परिषद द्वारा निजी विकास कर्ताओं को (इन्टीग्रेटेड हाउसिंग स्कीम) के अन्तर्गत पंजीकरण/ लाइसेन्स निर्गत किए जाने के संबंध में।	स्थगित किया गया।

प्रशासन अनुभाग

198/19	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम–1965 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 1 सन् 1966 की धारा–3,4,5,6 व 86) का संशोधन व तदनुसार परिषद में तीन उपाध्यक्षों की नियुक्ति एवं उन्हें देय मानदेय, भत्तों एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में।	अवलोकन करते हुए शासनादेश को अंगीकृत किया गया।
198/20	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद (सेवा की शर्तें) विनियम–1966 के उपविनियम 45 में संशोधन किए जाने के संबंध में।	शासन को संदर्भित किया जाये जिससे कि एकरूपता बनाई जा सकें।
198/21	परिषद कर्मियों को 1 जुलाई, 2006 से शासकीय कर्मियों की भॉति मँहगाई भत्ता अनुमन्य किए जाने के संबंध में।	स्थगित किया गया।
198/22	परिषद कर्मियों को 01 जनवरी, 2007 से शासकीय कर्मियों की भॉति मंहगाई भत्ता अनुमन्य किए जाने के संबंध में।	स्थगित किया गया।
198/23	अधीक्षण अभियंता के पदों पर पदोन्नति के संबंध में।	स्थगित किया गया।
198/24	परिषद में संहत वेतन पर कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटरों को शासन से स्वीकृत वेतनमान रू0 5000–8000 प्रदत्त किए जाने के संबंध में।	स्थगित किया गया।
198/25	निजी सचिव का वेतनमान संशोधित किए जाने विषयक।	स्थगित किया गया।
198/26	श्री आर0एन0सोनकर, सहायक लेखाधिकारी द्वारा आदेश संख्या 215/सतर्कता–54 /2003 (1558) दि0 18.05.2005 में पारित दण्डादेश में दिए गए दण्डों को समाप्त किए जाने हेतु प्रस्तुत अपील के संबंध में।	स्थगित किया गया।

198/27	पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रम में तकनीकी सहायक, वरिष्ठ तकनीकी सहायक व सहायक उद्यान निरीक्षक का वेतनमान दिनांक 01.01.1996 से पुनरीक्षित किए जाने के संबंध में।	स्थगित किया गया।
198/28	श्री देवकीनन्दन वर्मा, अवर अभियंता द्वारा आदेश संख्या 243/सतर्कता–43/2002(1604) दिनांक 9.3.2004 में पारित दण्डादेश में दिए गए दण्ड को समाप्त किए जाने हेतु अपील।	स्थगित किया गया।

अभियंत्रण अनुभाग

198/29	पंजीकरण एवं मांग के अनुरूप समस्त श्रेणी के भवन निर्मित किए जाने के संबंध में।	योजनाओं में अधिक से अधिक दुर्बल आय वर्ग के भवन निर्मित किये जाय। भारत सरकार की योजना से समन्वय भी किया जाये ताकि कम कीमत पर दुर्बल वर्ग के लोगो को भवन उपलब्ध हो सकें। इसके अतिरिक्त स्व वित्त पोषित (एस.एफ.एस.) भवन comfirmed मांग के आधार पर बनाये जा सकते है।
198/30	नवीन भवन की भॉति एक अतिरिक्त भवन निर्मित करने विषयक।	नार्म्स के अनुसार निर्माण किये जाने की शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया।

संपत्ति प्रबंध एवं पंजीकरण अनुभाग

198/31	केन्द्र सरकार के अधीन सार्वजनिक संस्थाओं को बल्क सेल के माध्यम से भूमि आबंटित करने के संबंध में।	स्थगित किया गया।
198/32	इन्दिरा नगर योजना में डुप्लेक्स भवन संख्या सी–501 डी एवं सी–501 एच का कब्जा एवं ब्याज माफ किए जाने के संबंध में।	निर्णय लिया गया कि एक मकान दिया जाय तथा मात्र अतिरिक्त व्याज ही माफ किया जाय।
198/33	जिगर विहार योजना मुरादाबाद में स्थित अल्प आय वर्ग भवन संख्या जी ए–321 के विरूद्ध आरोपित ब्याज/दण्ड ब्याज माफ करने एवं रजिस्ट्री संपादन के संबंध में।	निरस्त किया गया।
198/34	आम्रपाली योजना हरदोई रोड, लखनऊ में उ0प्र0 किंग जार्ज दंत विज्ञान विश्वविद्यालय लखनऊ को आबंटित भूखण्ड संख्या–ई–3/जी0एच0–01 एवं ई–3/जी0एच0–02 का पूर्ण भुगतान होने के उपरान्त दण्ड ब्याज माफ कर रजिस्ट्री, विश्वविद्यालय के पक्ष में करवाने के संबंध में।	अनुमोदन प्रदान किया गया।
198/35	वृन्दावन योजना स्थित भूखण्ड संख्या 9 बी/121 के विरुद्ध देय रख–रखाव माफी के संबंध में।	निरस्त किया गया।

198/36	राजाजीपुरम योजना लखनऊ में श्री विनय कुमार सिंह एवं श्री प्रकाश चन्द्र सचान के पक्ष में आबंटित उच्च आय वर्ग भवन संख्या सी–1851 एवं भवन संख्या सी–1853 के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में।	स्थगित करते हुए निर्देश दिये गये कि भविष्य में इस तरह के जो भी प्रस्ताव रखे जाये उनका पूर्ण परीक्षण करते हुए यह स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि किस बिन्दु पर निर्णय अपेक्षित है।
198/37	परिषद की योजनाओं में सहकारी आवास समितियों के आरक्षण के संबंध में।	स्थगित किया गया।
198/38	परिषद की अंगूरीबाग योजना फैजाबाद के मध्यम आय वर्ग भवन संख्या 149 के विरुद्ध ब्याज माफ करने के संबंध में।	निरस्त किया गया।
198/39	भूखण्ड संख्या 9बी/281 के विरुद्ध विलम्ब शुल्क माफी के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
198/40	वृन्दावन योजना स्थित मध्यम आय वर्ग भवन संख्या–6सी/30 के विरुद्ध 2 प्रतिशत छूट के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
198/41	परिषद की यू0पी0आई0एल0 कैम्पस ऐश बाग लखनऊ में डा0 विनोद तिवारी, माननीय विधायक पूर्व राज्य मंत्री को आबंटित फ्लैट संख्या–टीएफ–421 के विरुद्ध देय ब्याज को माफ करने के संबंध में।	स्थगित किया गया।
198/42	परिषद की राजाजीपुरम योजना में बोधिसत्व बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेदकर विकास संस्थान, राजाजीपुरम, लखनऊ को आबंटित भूखण्ड की दर में संशोधन किए जाने के संबंध में।	स्थगित किया गया।
198/43	परिषद की राजाजीपुरम योजना, लखनऊ में श्री लल्लन पाण्डेय को आबंटित आवासीय भूखण्ड संख्या–13/7063 के विरुद्ध आरोपित दण्ड ब्याज को माफ करने के संबंध में।	प्रस्ताव वापस लिया गया।
198/44	शेखुपुरा योजना लखनऊ में श्री तेज प्रताप सिंह को आबंटित भवन संख्या 892 के निर्माण मूल्य के संबंध में।	निरस्त किया गया।
198/45	आम्रपाली योजना लखनऊ में माननीय विधायक श्री अब्दुल मन्नान को आबंटित भूखण्ड संख्या ई–6/एमएल–6 के स्थल पर विकास कार्य पूर्ण न होने के कारण दण्ड ब्याज की धनराशि को माफ करने के संबंध में।	स्थगित किया गया।
198/46	फतेहपुर योजना स्थित अल्प आय वर्ग भवन संख्या 609 के ब्याज/दण्ड ब्याज माफी के संबंध में।	स्थगित किया गया।
198/47	ग्राहक के अनुरोध पर पंजीकरण/आबंटन में संयुक्त नाम/नामांतरण/हस्तांतरण के संबंध में।	शासन को संदर्भित किया जाय।

98/48	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की वृन्दावन योजना संख्या–2 में समाविष्ट खसरा संख्या 536, 537, 538 कुल रकबा 2815.02 व0मी0, खसरा संख्या 540अ, 540ब क्षेत्रफल 3970 व0मी0, खसरा संख्या 560, 561, 564 कुल रकबा 5530 व0मी0, खसरा संख्या 541 क्षेत्रफल 2810 व0मी0 भूमि कैथोलिक डायोसेज आफ लखनऊ के पक्ष में समायोजन/आबंटित करने के संबंध में।	स्थगित किया गया।
198/49	सुल्तानपुर रोड भूमि विकास गृहस्थान योजना, लखनऊ की धारा–28 के अन्तर्गत अधिसूचित 2561.10 एकड़ भूमि शासन की धारा–31(1) की स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गयी। सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एंव गृह स्थान योजना का धारा–31(1) का मूल प्रस्ताव 4085.43 एकड़ का परिषद बैठक 190/78 दि0 27.4.2005 द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसे शासन की स्वीकृति हेतु दिनांक 21.05.2005 को सन्दर्भित किया गया। शासन के पत्र दिनांक 5.4.2006 द्वारा प्रस्ताव को मूलरुप से वापस करते हुये युक्तियुक्त प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। लखनऊ विकास प्राधिकरण का भी इस सम्बन्ध में पत्र दिनांक 25.05.2006 प्राप्त हुआ। उक्त के कम में परिषद द्वारा मूल प्रस्ताव में से हाई टेक सिटी की 1750.96 एकड़ (जिसमें 126.95 एकड़ भूमि नियोजन समिति द्वारा छोड़ी गयी हैं,, तथा शेष 1750.96 – 126.95 = 1624.01 एकड़ भूमि) छोड़े जाने का अनुमोदन दिया गया। सूर्य बक्श पाल ट्रस्ट की भी भूमि 12.48 एकड़ छोड़े जाने का अनुमोदन दिया गया। इसके अतिरिक्त ग्रीन बेल्ट भूमि 547.39 एकड़ व डेन्जर जोन भूमि 377.22 एकड़ को मूल प्रस्ताव से प्रथक करते हुए 1524.33 एकड़ का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया। शासन द्वारा उक्त 1524.33 एकड़ भूमि के धारा–32 हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी। उल्लेखनीय है कि मूल प्रस्ताव 4085.43 एकड़ भूमि जिसका धारा–28 में नोटिफिकेशन हुआ था, में से अवशेष 2561.10 एकड़ भूमि का प्रकरण अनिस्तारित है। परिषद के अधिनियम की धारा–31(2) के अन्तर्गत शासन द्वारा वापस भेजे गये प्रस्ताव को परिषद द्वारा धारा–31(3) के अन्तर्गत परिष्कृत किया जाता है तो उसका धारा–28 के अन्तर्गत

		पुनः प्रकाशन आवश्यक है। प्रकरण में धारा–28 के पुनः प्रकाशन की कोई कार्यवाही नही की गई। मूल प्रस्ताव में से एक हिस्से का तो धारा–32 हो गया है तथा शेष अनिस्तारित है। इसके अतिरिक्त आवास एंव विकास परिषद अधिनियम–1965 की धारा–28 के अन्तर्गत जो भूमि चिन्हित की गई थी, उसकी सीमाएं निर्धारित की गई थी, परन्तु धारा–32 के अन्तर्गत विज्ञाप्ति भूमि की खसरावार क्षेत्रफल के अनुसार विज्ञप्ति जारी की गई, न कि सीमावार (Boundary wise) जिससे यह स्पष्ट है कि प्रस्तावित भूमि की चौहद्दी में अधिग्रहण के उपरांत शेष भूमि पर धारा–28 विद्यमान है। पूर्व में सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एंव गृह स्थान योजना के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय में दो जानहित याचिकायें सं0– 188(एम.बी.)/2005 व 332 (एम.बी.)/2005 दायर की गई थी जिसमें धारा–28 की अधिसूचना को विधि सम्मत मानते हुए स्थित निर्माणो का ध्वस्तीकरण किया गया था। धारा–28 से अधिसूचित मूल प्रस्ताव 4085.43 एकड़ की अवशेष 2561.10 एकड़ भूमि जनहित व योजना के सुनियोजित विकास तथा लोकप्रियता के दृष्टिगत परिषद के लिए उपयोगी है। परिषद को यह भूमि प्राप्त होने पर एक सुनियोजित कालोनी बनायी जा सकेगी, जिसमें जनसाधारण की सुविधा के लिए आवास के अतिरिक्त संस्थागत, व्यवसायिक, समुदायिक सुविधायें, स्कूल, कालेज, ग्रीन बैल्ट, गोल्फ कोर्स, इको पार्क, अम्यूजमेन्ट पार्क आदि की प्रस्तावना की जायेगी। इससे पर्यावरण एवं वातावरण शुद्ध रहेगा तथा योजना का सौदर्यीकरण हो सकेगा। अतः धारा–28 के अन्तर्गत मूल प्रस्ताव में अधिसूचित 4085.43 एकड़ भूमि में से अवशेष 2561.10 एकड़ भूमि को सम्मिलित करने हेतु धारा–31(1) की स्वीकृति एंव शासन से धारा–31(2) की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
198/50	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।	–

(शहाबुद्दीन मोहम्मद)
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

(अनिल सन्त)
आवास आयुक्त

(मोहिन्दर सिंह)
अध्यक्ष

पुष्टि की गई

अध्यक्ष